


211178

व्यवस्थापक कारी अथवा प्रशासकीय उपाय नहीं। व्यवस्थापक कारी
 का प्रशासकीय की तलब है। अथवा अथवा
 दिने जो कि बावजूद भी व्यवस्थापक कारी द्वारा लालच
 पत्र नहीं निकाला जाता। अथवा कारी द्वारा उद्योग शास
 कोश 9 वि 5 में सहायक कलक्टर द्वारा पत्राचार
 के लिए सुझाव देकर तलब से बाध है।



सहायक कलक्टर
 साँभर लोक